

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ) प्रेस नोट

➤ बांसवाड़ा में ग्लोबल बीएड कॉलेज के निदेशक, व्याख्याता एवं अध्यापक रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार, अध्यापक 5,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 23 अक्टूबर, 2026। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी इकाई बांसवाड़ा द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए ग्लोबल बीएड कॉलेज, बड़ोदिया, बांसवाड़ा के आरोपी भूपेन्द्र जैन, अध्यापक रसायन विज्ञान को सहपरिवादी से 5,000/- रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। वहीं, रिश्वत मांग सत्यापन में मुख्य भूमिका पाए जाने पर कॉलेज के निदेशक श्री सिद्धांत जैन एवं व्याख्याता राजनीति विज्ञान श्रीमती सुनीता जैन को भी गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कि एसीबी बांसवाड़ा इकाई को शिकायत प्राप्त हुई कि ग्लोबल बीएड कॉलेज, बड़ोदिया में अध्ययनरत परिवादी एवं सहपरिवादी विद्यार्थियों से उपस्थिति कम होने के बावजूद पूरे वर्ष सहयोग करने तथा इंटरनशिप के रिलीविंग लेटर जारी करने की एवज में कॉलेज के निदेशक, व्याख्याता एवं अध्यापक द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही है।

उक्त शिकायत पर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी सिद्धांत जैन, निदेशक, सुनीता जैन, व्याख्याता राजनीति विज्ञान एवं भूपेन्द्र जैन, अध्यापक रसायन विज्ञान द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी से 20,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा रिश्वत राशि लेने की सहमति व्यक्त करना पाया गया।

एसीबी उदयपुर रेंज के प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के सुपरविजन में एसीबी बांसवाड़ा के पुलिस उप अधीक्षक श्री रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में आज मय टीम ट्रेप कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी भूपेन्द्र जैन, अध्यापक रसायन विज्ञान, ग्लोबल बीएड कॉलेज, बड़ोदिया, बांसवाड़ा को सहपरिवादी से 5,000/- रुपये की रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। वहीं, रिश्वत मांग सत्यापन में मुख्य भूमिका पाए जाने पर आरोपी सिद्धांत जैन, निदेशक एवं आरोपिया सुनीता जैन, व्याख्याता राजनीति विज्ञान को भी गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

—किसी व्यक्ति के विरुद्ध एसीबी में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, आदि) दर्ज होने पर, ACB से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण के ACB द्वारा विस्तृत विश्लेषण के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ACB की कार्य प्रणाली का हिस्सा है। यह जानकारी एसीबी के डर से धोखाधड़ी आदि के शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।